न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू

पीठासीन अधिकारी : श्री बिजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
40/2023	111, 128 LRA	12.07.2023	30.01.2025

1. सुरेश कुमार ओझा पुत्र श्री रामेश्वरलाल ओझा जाति प्राधाण आयु 45 वर्ग निवासी – वार्ड संख्या 22. डॉ. शीला भार्गव के अस्पताल के पास, धर्मस्तूप के पारा, गुरू (राज.) मोबाईल संख्या – 7970024778

प्रार्थी

विरुद्ध

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू (राज.)
2. कान्ता पुत्री श्री देबुराम जाति माली पता ताजूशाह तकिया की गली, राम मन्दिर के पास वाली गली, चूरू (राज.)
3. किशनलाल पुत्र श्री रूकमानन्द जाति माली पता ताजूशाह तकिया की गली, राम मन्दिर के पास वाली गली, चूरू (राज.)
4. गणपति देवी पत्नी श्री शिवदत्तराम जाति गाली पता ताजूशाह तकिया की गली, राम मन्दिर के पास वाली गली, चूरू (राज.)
5. गोपाल पुत्र श्री सीताराम जाति माली पता ताजूशाह तकिया की गली, राम मन्दिर के पास वाली गली, चूरू (राज.)
6. थावरमल पुत्र श्री शिवदत्तसग जाति माली पता ताजूशाह तकिया की गली, राम मन्दिर के पास वाली गली, चूरू (राज.)
7. नारायणी पुत्री श्री देबुराम जाति माली पता ताजूशाह तकिया की गली, (राज.) राम मन्दिर के पास वाली गली, चूरू
8. पंकज पुत्र श्री सीताराम जाति माली पता ताजूशाह तकिया की गली, (राज.) राम मन्दिर के पास वाली गली, चूरू
9. मंगलचन्द पुत्र श्री शिवदत्तराम जाति माली पता ताजूशाह तकिया की गली, (राज.) राम मन्दिर के पास वाली गली, चूरू
10. मोनिका पुत्री सीताराम जाति माली पता ताजूशाह तकिया की गली, (राज.) राम मन्दिर के पास वाली गली, चूरू
11. शेराराम पुत्र श्री गोरुराम जाति माली पता पता ताजूशाह तकिया की गली, (राज.) राम मन्दिर के पास वाली गली, चूरू
12. सुशिला देवी पत्नी श्री सीताराम जाति माली पता ताजूशाह तकिया की गली, (राज.) राम मन्दिर के पास वाली गली, चूरू
13. सावित्री देवी पत्नी किशनलाल जाति माली पता ताजूशाह तकिया की गली, (राज.) राम मन्दिर के पास वाली गली, चूरू

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:26:54 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति:– 1. अधिवक्ता श्री सुशील सैनी अ[illegible] प्रार्थी
2 अधिवक्ता श्री [illegible]
3 अधिवक्ता श्री [illegible]

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नानुसार निवेदन किया गया

1. यह कि प्रार्थी मूल रूप से चूरू शहर का निवासी है तथा प्रार्थी की एकल खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 1355/107 तादादी 27759 हैक्टेयर रोही रामसरा (चूरू) मे मौजूद चली आ रही है।

2.यह कि ऊपर वर्णित कृषि भूमि के खेत पड़ौसी अप्रार्थी संख्या 02 से 13 व प्रार्थी को वादगत कृषि भूमि की सीमा का स्पष्ट ज्ञान नहीं है जिस कारण इस वादगत कृषि भूमि की सीमा व सींव को लेकर विवाद रहने लगा है।

3. यह कि प्रार्थी द्वारा अनेको बार अप्रार्थीगण को वादगत कृषि भूमि व अप्रार्थी संख्या 02 से 13 की कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद न करने हेतु कहा गया तथा आपसी सहमति से सीमाओं का निर्धारण कर लेने हेतु अप्रार्थी संख्या 02 से 13 को कहा गया परन्तु अप्रार्थी संख्या 02 से 13 द्वारा सहमति से विवाद का निस्तारण नहीं किया गया तथा अपनी कृषि भूमि की सीमाए बढ़ाते हुए प्रार्थी की वादगत कृषि भूमि खसरा संख्या 1355/107 मे बढ़ जाना चाहता है जो किसी भी रूप में सही व उचित नही है जबकि प्रार्थी वादगत कृषि भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद नही चाहता है तथा शान्तिपूर्वक अपनी वादगत कृषि भूमि पर काश्त करना चाहता है।

4. यह कि ऊपर वर्णित विवाद के निपटारे हेतु यह आवश्यक व उचित है कि प्रार्थी की वादगत कृषि भूमि खसरा संख्या 1355/107 रोही रामसरा (चूरू) का सीमा ज्ञान करवा

प्रार्थना पत्र अधरीहरु (राज) वर्ष 2023 प्रस्तुति दिनांक सुरेश कुमार विरुद्ध राजस्थान राज्य आदि

5. यह कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 से 13 के साथ साथ हल्का पटवारी व भू-प्रबन्ध अधिकारियो से भी इस हेतु निवेदन किया गया तो उनके द्वारा बिना न्यायालय आदेश के ऐसा करने से दिनांक 20.06.2023 को स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में मजबूरन प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ रहा है। हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार की कोई खोतदारी अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं।

6. यह कि प्रार्थी वादगत्त कृषि भूमि का एकल खातेदार होने से प्रार्थी को अपनी वादगत कृषि भूमि का सीमा ज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु अधिकार प्राप्त होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वादाधार प्राप्त है तथा अप्रार्थीगण द्वारा बिना न्यायालय आदेश के ऐसा करने से इन्कार हो जाने से वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है।

7. यह कि वादगत कृषि भूमि रोही चूरू में अवस्थित होने से इस कृषि भूमि के संबंध में पत्थरगढी का आदेश प्रदान करने हेतु माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जो प्रार्थना पत्र परिसीमा अवधि के भीतर पूर्ण न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत किया जाता है।

8. यह कि समस्त कृषि भूमियो के धारक राजस्थान राज्य की ओर से तहसीलदार महोदय, चूरू होने के कारण तथा उन्ही के द्वारा हस्तगत प्रकरण के संबंध मे समस्त प्रक्रिया की जाने के कारण प्रकरण के निस्तारण हेतु उचित व आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 के रूप में प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की एकल खातेदारी की कृषि भूम खेत खसरा संख्या 1355/107 रोही ग्राम रामसरा (चूरू) कुल तादादी 2.7759 हैक्टेयर की पत्थ[illegible] जाने हेतु ओदश प्रदान करे जिस हेतु माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार प्रार्थी सम[illegible] की राशि जमा करवाने हेतु तत्पर व तैयार है।

प्रार्थना-पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार [illegible] की होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस [illegible] अप्रार्थी सं. 5 व 9 की ओर से अधिकक्ता प्रितमसिंह व प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से दीप[illegible] स्वामी ने वकालतनामा पेश किया अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:26:54 IST
Reason: SelfAttested

44

अप्रार्थी संख्या 5 व 9 की ओर से जाहिर किया गया की पत्थर गढी की जाती है तो हमें कोई आपति नहीं है जबकि अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित किया गया की अप्रार्थी संख्या 11 व प्रार्थी के मध्य मधुर सम्बन्ध है व किसी भी प्रकार का कोई विवाद प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 11 के मध्य नहीं है जिससे पत्थरगढी व सीमा ज्ञान किये जाने की आवश्यकता नहीं है अतः प्रार्थी की प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी संख्या 11 के विरूद्ध खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई बहस में अधिवक्ता उभय पक्ष में प्रार्थना–पत्र व जवाब प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी संख्या 11 में अंकित तथ्यों को दोहराया।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया उपरोक्तानुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं पेश दस्तावेजात् के अवलोकन एवं बहस के तथ्यों पर मनन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत कृषि भूमि ख.नं 1355/107 रोही ग्राम रामसरा की भूमि प्रार्थी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपस में झगड़े होते रहने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अप्रार्थी संख्या 5 व 7 की ओर से जाहिर किया गया कि पत्थर गढी की जाती है तो हमें कोई आपति नहीं है जबकि अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी संख्या 11 व प्रार्थी के मध्य सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 2 से 4, 6 से 8, 10, 12, 13 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। एसा कोई तथ्य सामने नहीं आया जिससे प्रार्थी उसकी खातेदारी कृषि भूमि का सीमा ज्ञान व पत्थरगढी करवाया जाना उचित नहीं हो। इसलिए उक्त सीमा विवाद के स्थायी समाधान के लिए तथा अपने खेत की सीमाओं की सुरक्षा हेतु को विधिवत सीमा ज्ञान कर पत्थरगढी करवाने का अधिकार है। प्रार्थी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार होने से नियमानुसार अपनी कृषि भूमि का सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढी का खर्चा वहन करने हेतु तैयार है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के मद्देनजर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चूरू को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीया के खातेदारी की भूमि खेत खसरा नं. 1944/1565 तादादी 2.6052 हैक्टेयर की नपती एवं सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थीया से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर मौके पर पुख्ता केन्द्र बिन्दु कायम करते हुए दोनों पक्षों के खातेदारों की उपस्थिति में विधिवत सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करावें।

आदेश आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:26:54 IST
Reason: SelfAttested